Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to protect the land rights of tribal people in the Land Acquisition Act, 2013.

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): मैं सरकार का ध्यान केंद्र द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मूल प्रावधानों से हटकर अध्यादेश लाये जाने की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो झारखण्ड के करोड़ों आदिवासी-मूलवासियों के अधिकारों का हनन करने एवं मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और धनवान बनाने का रास्ता बनाने के लिए लाया गया है जिसके कारण झारखण्ड राज्य के आदिवासी-मूलवासियों की जमीन को अधिग्रहित कर उन्हें भूमिहीन किया जा रहा है जिससे आदिवासी-मूलवासी विनाश की ओर जा रहे हैं। कई योजनाओं के क्रियान्वयन से उन्हें बड़े पैमाने पर विस्थापित कर उन्हें रोजगारविहीन किया जा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मूल प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न होने दें जिससे देश के आदिवासी-मूलवासी अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास नि:संकोच ढंग से कर सकें।